**न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या– 4, अजमेर**
पीठासीन अधिकारी – ऋतु मीणा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना संख्या : 241/2025, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर
अपराध अंतर्गत धारा : 318(4),319(2),336(2)(3),338,340(2),61(2)
भारतीय न्याय संहिता
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 261/2026

गौरू खान पुत्र मुमताज खान, उम्र 31 वर्ष, निवासी 320, नई बस्ती, लोहाखान, अजमेर

**––प्रार्थी/अभियुक्त**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर।

**––अप्रार्थी**

**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482**
**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (438 द.प्र.सं.)**

उपस्थिति–
1. श्रीमती खुशबू पाराशर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री गुलाम नजमी फारूकी, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य

**आदेश दिनांक – 18.03.2026**

**01–** प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (438 द.प्र.सं.) माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु जरिए अंतरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

**02–** प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया श्रीमती ममता बालानी का परिवाद दिनांक 11.08.2025 को जरिये पुलिस अधीक्षक अजमेर से धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत पुलिस थाना रामगंज को इस आशय का प्राप्त हुआ कि उसके स्व. माता–पिता श्री केशव जी माखिजा एंव स्व. श्रीमती शीला माखिजा की क्रयशुदा कृषि भूमि ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जो कि दो भूखण्ड क्रमशः 499.72 वर्गगज व 399.43 वर्गगज के है, जो कि दिनांक 27.08.1993 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री टहलराम पुत्र श्री नन्दीराम निवासी शोरग्रान मौहल्ला अजमेर के मुख्त्यारआम श्री शाहबुद्दीन खान पुत्र श्री नूर मोहम्मद ग्राम खानपुरा अजमेर से क्रयशुदा भूमि है जो खाता संख्या–253 व खसरा संख्या–363, 364, 375 में 376 का भाग है एंव उसके स्व. माता–पिता के जीवनकाल से ही क्रयशुदा भूमि की

देखरेख वह ही करती आ रही है, जिस पर बाउण्ड्री भी उसके द्वारा ही निर्मित कराई गई है तथा उसके माता–पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि की वह एक विधिक वारिस है और उसके अलावा उसके भाई प्रेम माखिजा एव राजेश माखिजा भी विधिक वारिसान है तथा आज दिनांक तक उपरोक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। कुछ समय पूर्व उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि का कुछ भू–माफिया मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर विक्रय करने की ताक में चल रहे है, जिसके चलते उसके द्वारा एक आम सूचना दिनांक 13.02.2025 को अखबार में भी प्रकाशित करवाई गई थी और आमजन को सूचित भी किया था। कल उसे उसके जानकार द्वारा बताया गया कि उसकी उक्त भूमि की जालसाजीपूर्वक विक्रय पत्र का पंजीयन करा लिया गया है तथा उक्त विक्रय पत्र की प्रति प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि रमेशचन्द पुत्र कुंदनदास निवासी नाथ जी की बगीची उसरी गेट अजमेर द्वारा कैलाशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल निवासी दौराई अजमेर व खालिद मोहम्मद पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी हरिजन बस्ती खानपुरा चिश्ती नगर अजमेर व गौरु खान पुत्र मुमताज खान निवासी 320 नई बस्ती लोहाखान अजमेर के हक में उसकी उक्त भूमि का पंजीयन दिनांक 21.04.2025 को करवा लिया गया है एंव उक्त पंजीयन पर बतौर गवाह बरकत अली पुत्र हैदर अली निवासी 11/52 वस्कत भवन सर्वेश्वर नगर लोहाखान अजमेर एव आशिक मिया पुत्र बुंद खान निवासी नई बस्ती लोहाखान अजमेर द्वारा हस्ताक्षर किये गये है तथा उक्त फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर उसकी उक्त भूमि को अन्य किसी को विक्रय करने का प्रयास कर रहे है। उसके माता–पिता द्वारा उक्त भूमि सन् 1993 से विक्रय करने के पश्चात से उनके एंव उनके स्वर्गवास के पश्चात उसके एंव उसके भाईयो के कब्जेकाश्त में चली आ रही है एंव उसके माता पिता एंव उन्होंन ही उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का भी निर्माण कर रखा है परन्तु उस क्षेत्र में इन भू–माफियाओ द्वारा कई लोगो की सम्पत्तियों पर अवैध रूप से जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके साथ धोखाधड़ी कारित कर उनकी सम्पत्तियों हडप ली है..... इत्यादि।

**03–** उक्त परिवाद पर पुलिस थाना रामगंज पर अभियोग संख्या 241/2025 अन्तर्गत धारा 318(4), 336(3), 338, 61(2) बी.एन.एस. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं प्रकरण अभी अनुसंधानरत है।

**04–** दोनों पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

**05–** दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा तर्क दिया गया है कि पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 61(2) बी.एन.एस. के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया है, जिसमे प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफतार किये जाने की पूर्ण आंशका बनी हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त सम्पत्ति को सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा सम्पत्ति का सदभाविक क्रेता है केवल मात्र अनैतिक राशि प्राप्त करने की नियत से सदभाविक क्रेता के विरूद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है तथा प्रार्थी के पक्ष मे विधिवत नामान्तरण भी खुल गया है। प्रकरण में किसी प्रकार से

Authenticated Document

कोई धोखाधडी नही की गयी है न ही कूटरचना इत्यादि की गयी है न ही मिलीभगति है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है जिसके पलायन की कोई संभावना नही है। प्रकरण के विचारण मे समय लगने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर उसके परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण सिविल प्रकृति का है जिसे फौजदारी मामला बनाने का प्रयास किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के समस्त आदेशों की शर्तों की पालना करने को तैयार एवं तत्पर है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा सहअभियुक्त खालिद की जमानत याचिका स्वीकार की है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर के अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित करें कि प्रथम सूचना संख्या 241/2025 मे प्रार्थी की गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तारी नहीं कर जमानत पर छोडा जाये।

**06–** इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

**07–** दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। मुताबिक केस डायरी प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध निम्न पूर्व अपराधिक रिकार्ड है –

| क्र स | मुकदमा नम्बर | धारा | नाम थाना | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 152/2016 | 147, 323, 342, 365, 149 भादस | सिविल लाईन अजमेर | विचाराधीन न्यायालय |
| 02 | 152/2018 | 8/20, 8/21 एनडीपीएस एक्ट | सिविल लाईन अजमेर | विचाराधीन न्यायालय |
| 03 | 44/2019 | 8/22, 8/29 एनडीपीएस एक्ट | एसओजी जयपुर | विचाराधीन न्यायालय |
| 04 | 397/2023 | 323, 341, 307, 34 भादस | सिविल लाईन | दोषसिद्ध दिनांक 15.09.2025 सेशन न्यायालय अजमेर |

**08–** प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध को अन्य साथी मुलजिमान के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर गलत व्यक्ति रमेशचंद पुत्र कुंदनदास की जगह रमेशचंद पुत्र भूगडामल को उपस्थित कर कूटरचित पंजीबद्ध विक्रय पत्र लोक सेवक के समक्ष निष्पादित करने के तहत 318(4), 319(2), 336(2)(3), 338, 340(2),

61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम दृष्टया आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अनुसंधान में सहयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी सकुनत से रूहपोश चल रहा है, जिससे प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

**आदेश**

**09–** परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त गौरू खान की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (438 द.प्र.सं.) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर

**10–** आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर

JAMSHEED AHMED

Digitally signed by JAMSHEED AHMED
Date: 2026.03.28 14:53:40 +0530

Authenticated Document